



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

205362

वस्त्र है तथा वैधानिक दृष्टियों एवं दोषों से मुक्त एवं रहित
है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को
विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं
अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक छुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष
के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त
कि. म. प. के



18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



19

भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं
किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है।
उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है
तथा उसका कोई कारतकार शिकमी या साही, जेला च
काबिज नहीं है तथा भौके पर प्रथम पक्ष की कारत मौजूद
है।



19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

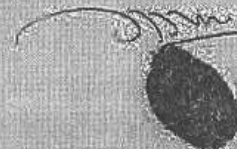


है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक को
कोई कार्यवाही एक्यूजोरान या रिक्ज्यूजोरान आदि को किसी
न्यायालय अथवा कार्यालय में विचारार्थ नहीं है। उपरोक्त
भूमि नगर भूमि सीमांशेपन अधिनियम 1976 के प्राविधानों के
अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और

मि० राय



20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21



उपरोक्त समस्त में भाग 10 (3) व भाग 10 (4) का कोई

आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है

तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है।

उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 1,32,09,330/- एक करोड़

बत्तीस लाख नौ हजार तीन सौ तीस रुपये तय है जो अति

निम्न



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215366

22

वर्धित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः

विभागीय



22

